

एलएल.एम. प्रवेश हेतु

ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पत्र के साथ जमा किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति
2. एलएल.एम. प्रवेश परीक्षा परिणाम की फोटोप्रति
3. पासपोर्ट साइज फोटो- 2
4. 10वीं की अंकसूची
5. 12वीं की अंकसूची
6. ग्रेजुएशन की पूरी अंकसूचियां
7. एल एल.बी. की पूरी अंकसूचियां
8. गेप सर्टिफिकेट मूल प्रति (यदि लागू हो)
9. स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति (T.C.)
10. चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति (C.C.)
11. पात्रता प्रमाण पत्र की मूल प्रति (यदि लागू हो)
12. माइग्रेशन मूल प्रति (यदि लागू हो)
13. छत्तीसगढ़ निवासी प्रमाण पत्र
14. जाति सत्यापन प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
15. आधार कार्ड
16. ए.बी.सी. आई डी की फोटोप्रति

नोट— महा. कार्यालय से उक्त दस्तावेजों को सत्यापित कराते समय समस्त मूल दस्तावेज लाना अनिवार्य है। समस्त दस्तावेजों की फोटोकॉपी एवं पासपोर्ट साइज फोटो स्वप्रमाणित होना चाहिये।


12-08-2026

प्र. प्राचार्य
सेठ रतनचंद सुराना विधि
महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

एल.एल.एम. प्रवेश हेतु महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिये सामान्य निर्देश

- ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज जमा करें—
 - ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति
 - एलएल.एम. प्रवेश परीक्षा परिणाम की फोटोप्रति
 - महाविद्यालय के आवेदन पत्र जो पूरी तरह से भरी गई हो एवं पूर्ण हस्ताक्षरित हो
 - पासपोर्ट साइज फोटो— 2
 - 10वीं, 12वीं एवं ग्रेजुएशन, एल एल. बी. की समस्त अंकसूची
 - गेप सर्टिफिकेट मूल प्रति (यदि लागू हो)
 - स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति (T.C.)
 - चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति (C.C.)
 - पात्रता प्रमाण पत्र, माइग्रेसन की मूल प्रति (यदि लागू हो) छत्तीसगढ़ के बाहर विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य
 - छत्तीसगढ़ निवासी प्रमाण पत्र
 - जाति सत्यापन प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
 - आधार कार्ड
- महा. कार्यालय से उक्त दस्तावेजों को सत्यापित कराते समय समस्त मूल दस्तावेज लाना अनिवार्य है। समस्त दस्तावेजों की फोटोकॉपी एवं पासपोर्ट साइज फोटो स्वप्रमाणित होना चाहिये। दस्तावेजों के सत्यापन पश्चात मूल दस्तावेज अपने साथ वापस ले जावें।
- महा. में प्रवेश हेतु विद्यार्थी महा. के नियमित सम्पर्क में रहें। महा. में समय-समय पर जारी प्रावीण्य सूची का नियमित अवलोकन करते रहें, उन्हें अलग से व्यक्तिगत रूप से सूचित नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रवेश न लेने पर महा. जिम्मेदार नहीं है।
- प्रावीण्य सूची में दर्शाये निर्धारित समय में प्रवेश न लेने वाले विद्यार्थी का नाम या तो हटा दिया जावेगा या अन्त में सीट उपलब्ध होने पर प्रवेश दिया जावेगा।
- स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति के बिना प्रवेश नहीं दिया जायेगा। स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति अनिवार्य है।
- स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति के आधार पर प्रवेश लेने के लिये —
 - पुलिस थाने में रिपोर्ट की प्रति देवें।
 - पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट लेवें जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमंक एवं दिनांक का उल्लेख हो।
 - विद्यार्थी वचन पत्र/शपथ पत्र देवें कि किसी भी अनियमितता अथवा असत्यता के लिये महा. कार्यवाही करने हेतु सक्षम है एवं महा. द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
- एलएल.एम. प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर महाविद्यालय में प्रवेश दिया जावेगा
- छत्तीसगढ़ के बाहर विद्यार्थी पात्रता एवं माइग्रेसन प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से अवश्य प्रस्तुत करें। वे शपथ पत्र देवें कि गलत/झूठी जानकारी पाये जाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
- पूर्व में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को उसी संकाय के उसी कक्षा में आगामी वर्षों में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- एल एल.एम. में प्रवेश हेतु सामान्य वर्ग के लिये 55% अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये 50%, अंक अनिवार्य है। उम्र का बंधन नहीं है।
- यदि विद्यार्थी किसी संस्था में कार्यरत हैं तो संस्था प्रमुख से अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य लेवें।
- एल एल. एम. में प्रवेश प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को आवश्यक है कि वे वकालत नहीं करने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करें।

नोट— अन्य निर्देश आवश्यकतानुसार बाद में जारी किया जावेगा।


12-08-2026

प्रमुख
सहायक प्रमुख
महाविद्यालय